



गजियाबाद विकास प्राधिकरण

(ISO 9001 : 2015 एवं ISO 14001 : 2015 प्रमाणित संस्था)
विकास पथ, गजियाबाद

शमन योजना – 2020

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा अनधिकृत/अतिरिक्त निर्माण के नियमितीकरण हेतु शमन योजना-2020 लागू की गयी है। उक्त योजना दिनांक **21.07.2020** से छह: माह की समयावधि हेतु दिनांक **20.01.2021** तक प्रभावी रहेगी। योजना के अर्न्तगत वर्तमान समय तक निर्मित भवनों के शमन हेतु आवेदन, लाइसेंस प्राप्त वास्तुविद्/अभियन्ता से मानचित्र तैयार कर, शमन शुल्क का स्व: मूल्यांकन करते हुये प्राधिकरण के स्वागत कक्ष स्थित काउंटर पर किसी भी कार्य दिवस में जमा कराया जा सकता है, व विस्तृत शासनादेश प्राधिकरण की वेबसाइट www.gdagaziabad.in पर अवलोकित एवं डाउनलोड किया जा सकता है। अन्य जानकारी मोबाईल संख्या. 7290060578, 7500161161 तथा 7290068620 पर सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है।

(उपाध्यक्ष)

ई-मेल : helplinegda@gmail.com, [@gdagzb](https://www.facebook.com/gdagzb) [IG](https://www.instagram.com/gdagzb): gdagzb
हेल्पलाईन नं: **0120-3342433**, व्हाट्सएप : **9818988807**
वेबसाईट : www.gdaghaziabad.com

एक सुन्दर शहर हमारा संकल्प